रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102025-267181 CG-DL-E-27102025-267181

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 710]

No. 710]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 2025/ कार्तिक 5, 1947 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2025/ KARTIKA 5, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2025

सं. 67/2025- सीमाश्ल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 794(अ).— सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017 के नियम 3 और 4 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, 20 अक्टूबर, 2023 की सा.का.नि. 792(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 77/2023 – सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 की अधिसुचना में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अध्याय - 71 में, -

(i) टैरिफ मद 711301 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, आंकडों के लिए "466.76" के लिए "524.27" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

7171 GI/2025 (1)

- (ii) टैरिफ मद 711302 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, आंकडों के लिए "5234.00" के लिए "6317.22 " को अंत:स्थापित किया जाएगा;
- (iii) टैरिफ मद 711401 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, आंकडों के लिए "5234.00" के लिए "6317.22 " को अंत:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 605/13/2023-(डीबीके)]

वी. फणींद्र विसाप्रगडा, अवर सचिव (डाबैक)

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना संख्या 77/2023-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को संख्या जी.एस.आर. 792(ई), दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 51/2025-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 25 अगस्त ,2025 द्वारा किया गया, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 25 अगस्त ,2025 को को संख्या जी.एस.आर. 574 (ई), दिनांक 25 अगस्त , 2025 के तहत प्रकाशित किया गया।

## MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2025

No. 67/2025- Customs (N.T.)

**G.S.R. 794(E).**— In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with rules 3 and 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 77/2023 – Customs (N.T.), dated the 20<sup>th</sup> October, 2023, published *vide* number G.S.R. 792 (E), dated the 20<sup>th</sup> October, 2023, namely:-

In the said notification, in the Schedule, in Chapter -71, -

- (i) against tariff item 711301, in the entry in column (4), for the figures "466.76", the figures "524.27" shall be substituted;
- (ii) against tariff item 711302, in the entry in column (4), for the figures "5234.00", the figures "6317.22" shall be substituted;
- (iii) against tariff item 711401, in the entry in column (4), for the figures "5234.00", the figures "6317.22" shall be substituted.

[F. No. 605/13/2023-(DBK)]

V PHANINDRA VISSAPRAGADA, Under Secy. (Duty Drawback)

**Note:** The principal Notification No. 77/2023-Customs (N.T.), dated the 20<sup>th</sup> October, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20<sup>th</sup> October, 2023 vide number G.S.R. 792(E), dated the 20<sup>th</sup> October, 2023 and was last amended by Notification No. 51/2025-Customs (N.T.), dated the 25<sup>th</sup> August, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 25<sup>th</sup> August, 2025 *vide* number G.S.R. 574(E), dated the 25<sup>th</sup> August, 2025.